[redacted]

# प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं ........109/23........ दिनांक........5/5/2023........
2. (1) अधिनियम पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018 धारायें.................... 7,7 / 12 पी.सी.( संशोधन ) एक्ट 2018

   (2) अधिनियम........................................धारायें ........................................

   (3) अधिनियम........................................धारायें........................................

   (4) अन्य अधिनियम एवं ........................................ धारायें ........................................

3. (क) घटना का दिन :– सोमवार दिनांक :– 06.02.2023
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 13.12.2022 समय :– 12.40 पी.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ........107........ समय........6:00 pm
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 03 कि0मी0 बजानिब उत्तर दिशा
   बीट संख्या........................................जुरामदेही सं........................................
   (ख) पताः– कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम......................जिला ..............................
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री बालचन्द चौधरी
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री जानकी लाल चौधरी जाति जाट
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 42 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – नौकरी
   (छ) पता :– बी–5, बृज रेंजिडेन्सी, झालावाड़ हाल कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता ग्रामीण जेपीडी, झालावाड़ (राज0)।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र डॉ. एस. एल. अग्रवाल जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर ए–1, वरमीज कॉलोनी, जयपुर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ हाल अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, सवाईमाधोपुर (राज0)।
   2. श्री राजेश कुमार गुर्जर उर्फ राजू पुत्र श्री नन्दकिशोर गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा पोस्ट गोरधनपुरा तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल पेशा ड्राईवर संविदाकर्मी कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 10,000 रूपये .............
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो )........................................................................
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 13.12.2022 समय 12:40 पीएम को परिवादी श्री बालचन्द पुत्र श्री जानकी लाल जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी बी–5, बृज रेंजिडेन्सी, झालावाड़ हाल कनिष्ठ

अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता ग्रामीण जेपीडी, झालावाड़ मो0नं0 9950658522 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक कम्प्यूटर से टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह वर्तमान में कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ में इंजीनियरिंग सुपरवाईजर (ईएस) के पद पर कार्यरत है तथा दिनांक 24.11.2022 से उसके पास कार्यालय कनिष्ठ अभियंता झालावाड़ रोड़ का अतिरिक्त कार्यभार भी है। दिनांक 12.12.2022 को श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ श्री एस.के. अग्रवाल के वृत्त कन्ट्रोल रूम दूरभाष 07433–230030 से प्रातः 11.34 बजे उसके मोबाईल पर कॉल आया कि उसे श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता याद कर रहे है। परिवादी ने बताया कि चूंकि 13/11 केवी जीएसएस राजपुरा की विद्युत आपूर्ति बाधित होने को लेकर एवं श्रीमान सहायक अभियंता (ग्रामीण) के अवकाश पर होने के कारण कार्यालय की समस्त जिम्मेदारी उस पर होने के बावजूद भी समय निकालकर वह साईड से झालावाड़ आया तथा श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय में गया तो वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति से पहले ही उनकी मिटिंग चल रही थी तो मुझे बोला गया कि आप बाहर बैठो। चूंकि श्रीमान अधीक्षण अभियंता मुझसे अकेले में ही बात करना चाहते थे। इसलिए 45 मिनट बाद मुझे उनके चैम्बर में बुलाया गया तथा जैसे ही मैं उनके चैम्बर में गया तो बोले की बैठो। फिर मुझसे बोले कि क्या लेकर आये हो, मैं चुप रहा। फिर बोले कि आप तो खाली हाथ ही आ गये हो। फिर भी मैं चुप रहा। फिर बोले कि जाओ और कुछ लेकर आओ। मैं सब कुछ सुनकर आ गया और फिर गया ही नहीं। इस प्रकार से श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मासिक बंधी देने की मांग कर रहे है तथा मुझे पूर्व में भी बुलाया जाकर प्रताड़ित करते हुए बोले कि साले को सस्पेंड कर दूंगा। ज्यादा समझदार समझते हो क्या अपने आप को। परिवादी ने बताया कि मेरी उस दिन श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता से पहली मुलाकात थी इसलिए सब कुछ बर्दास्त करके चुप रहा लेकिन फिर भी इनके द्वारा बार–बार कार्यालय में बुलाकर मासिक बंधी देने के लिए परेशान किया जा रहा है। मैं श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ श्री एस.के. अग्रवाल को रिश्वत के रूप में मासिक बंधी नहीं देना चाहता हूं तथा उनको मासिक बंधी लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उनसे कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही रूपये पैसे का कोई पुराना लेन देन बकाया है। मासिक बंधी की राशि श्रीमान अधीक्षण अभियंता द्वारा उनसे मासिक बंधी के सम्बंध में वार्तालाप करने के दौरान तय की जावेगी। इसलिए मैं अभी नहीं बता सकता कि वह मुझसे कितनी राशि मासिक बंधी के रूप में मांग करेगें। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 की परिधि में आता है। अतः परिवादी श्री बालचन्द चौधरी को आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के पास झालावाड़ स्थित उसके कार्यालय पर परिवादी के बताये अनुसार भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। सत्यापन में जैसी स्थिति बनेगी, तदानुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 13.12.2022 समय 01:15 पीएम पर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के बारे में उसके कार्यालय में मौजूद होने की जानकारी करने के पश्चात् ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री पवन कुमार नं0 28 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री बालचन्द चौधरी के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 13.12.2022 समय 04:45 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी से श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 की मौजूदगी में पूछने पर परिवादी ने बताया कि हम दोनों अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से रवाना होकर अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ कार्यालय के नजदीक पहुंचे। मैंने श्री पवन कुमार कानि0 को वहीं कार्यालय के बाहर ही साईड में रूकने तथा मेरा लौटने तक इन्तजार करने के लिए कहा तथा मैं श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के लिए रवाना हुआ तथा उनके कक्ष के बाहर पहुंचकर उनके बारे में जानकारी ली तो उनका अपने कक्ष में ही मौजूद होना ज्ञात हुआ। इस पर मैं उनके कक्ष का गेट खोलकर अकेला देखकर अन्दर चला गया तथा उनको कहा कि सर आपने मुझे बुलाया था। उस समय मैंने मेरे पास रखे हुए 10,000रूपये अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर टेबल पर रख दिये थे, तो उन्होने रूपये देखकर हंसकर मुझसे कहा कि यह अभी तुम्हारे पास ही रखो, मेरे ड्राईवर को दे देना तथा मुझसे कहा कि तुम कल लंच में मेरे बंगले पर आकर मुझसे मिलना। इस पर मैं उनके कक्ष से बाहर आ गया। कुछ देर पश्चात् ही वह भी अपने कक्ष से बाहर आकर सरकारी गाड़ी में बैठकर ड्राईवर के साथ अपने आवास पर चले गये। मैंने श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता से उनके

कक्ष में हुई उक्त समस्त वार्तालाप को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद मैं अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय के नजदीक खड़े श्री पवन कुमार कानि0 के पास आ गया तथा उनको सारी बात बतायी थी। हम दोनों श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता के ड्राईवर के कार्यालय में आने का इन्तजार करते रहे। लगभग सवा चार बजे सरकारी गाड़ी से अधीक्षण अभियन्ता महोदय के कार्यालय पहुंचने पर उनके कक्ष में जाने के बाद मैं उनकी गाड़ी के पास खड़े उनके ड्राईवर के पास गया तथा उससे पूछा कि तुम साहब के ड्राईवर हो ना, तुम्हारा क्या नाम है तो उसने हां कहते हुए, अपना नाम राजू बताया। राजू को मैंने बताया कि मैंने साहब को 10,000रूपये देना चाहा था परन्तु उन्होने मुझसे कहा कि मेरे ड्राईवर को दे देना। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हे रूपये देता उसी समय साहब के बाहर आने पर तुम साहब को लेकर बंगले पर चले गये थे। मैंने राजू को 10,000रूपये देते समय रूपये गिनने के लिए भी कहा था परन्तु उसने नही गिने तथा 10,000रूपये अपने पास अधीक्षण अभियंता महोदय को देने के लिए रख लिये थे। ड्राईवर राजू से हुई बातचीत के दौरान भी मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर उससे हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद मैं पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर श्री पवन कुमार कानि0 के पास आकर ड्राईवर राजू से हुई वार्तालाप के बारे में बताया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर उनको दे दिया था। उसके बाद हम दोनों अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय से रवाना होकर आपके कार्यालय में आये है। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा बताये गये कथनों का श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ने भी ताईद की। श्री पवन कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री बालचन्द चौधरी को अधीक्षण अभियन्ता श्री एस. के. अग्रवाल से उसके बंगले पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु कल दिनांक 14.12.2022 को दोपहर लंच से पूर्व ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। आईन्दा परिवादी श्री बालचन्द चौधरी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायी जावेगी तथा आज डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्तालाप को स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 14.12.2022 समय 01:15 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 के जरिये मालखाना में रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चैक कर परिवादी को पुनः चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया समझाई जाकर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी को सुपुर्द कर श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 को निगरानी हेतु अपनी अपनी मोटर साईकिलों से अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम के आवास के लिए रवाना कर हिदायत मुनासिब दी गयी। दिनांक 14.12.2022 समय 07:30 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी से श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 की मौजूदगी में पूछने पर परिवादी ने बताया कि हम दोनों अपनी–अपनी मोटर साईकिलों से रवाना होकर अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के बंगले के नजदीक पहुंचे। मैंने श्री पवन कुमार कानि0 को वहीं बंगले के बाहर ही साईड में रूकने तथा मेरा लौटने तक इन्तजार करने के लिए कहा तथा मैं श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता के बंगले के अन्दर जाकर देखा तो उनके आवास पर ताला लगा हुआ मिला। इस पर मैं श्री पवन कुमार कानि0 के पास आया तथा उनको बताया कि बंगले पर ताला लगा हुआ है एक बार उनके ऑफिस चलते है। इस पर दोनों अपनी अपनी मोटर साईकिलों से बंगले से रवाना होकर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता के नजदीक पहुंचे। मैंने कार्यालय में जाकर पता किया तो उनका मिनि सचिवालय झालावाड़ में जाना ज्ञात हुआ। इस पर पुनः मैं श्री पवन कुमार कानि0 के पास आया तथा उनको बताया कि वह मिनि सचिवालय गये हुए है। इस पर मैंने अपने मोबाईल से श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम श्री एस.के. अग्रवाल के मोबाईल पर कॉल किया तो उन्होने कहा कि मैं अभी बीजी हूं तथा आज शाम 4 बजे से 6 बजे तक विडियो कॉन्फ्रिन्सिंग भी है उसके बाद मैं तुम्हें कॉल कर बंगले पर बुला लूंगा। परन्तु उनका कोई कॉल मेरे पास अभी तक नहीं आने पर हम इन्तजार करते रहे तथा उसके बाद दोनों लौटकर आपके कार्यालय में आये है। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा बताये गये कथनों का निगरानी हेतु भेजे गये श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ने भी ताईद की। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे द्वारा आगे होकर श्रीमान अधीक्षण अभियंता को मोबाईल से कॉल करने पर उनको शक हो सकता है। अतः उनके द्वारा मुझे कॉल करने का इन्तजार करना उचित रहेगा। यदि उनके द्वारा मुझे कॉल किया जाता है तो मैं आपको शीघ्र अवगत करवा दूंगा तथा तत्काल आपसे सम्पर्क कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के लिए श्री पवन कुमार कानि0 के साथ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर चला जाउंगा। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा दिये गये कथनों पर यकीन किया जाना उचित मानकर परिवादी को पूर्णतः गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को सुरक्षित मालखाना रखने के लिए सुपुर्द किया गया। दिनांक 06.02.2023 समय 02:30 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष

एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में परिवादी द्वारा दिनांक 13.12.2022 को प्रस्तुत किये गये रिश्वत की मांग करने सम्बंधी परिवाद पर कार्यवाही ड्रॉप करने के सम्बंध में निवेदन किया है। प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया गया। परिवादी श्री बालचन्द चौधरी ने परिवाद में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। प्रस्तुत परिवाद को अवलोकन के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि दिनांक 13.12.2022 को परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही के क्रम में दिनांक 13.12.2022 को ही आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ तथा उसके ड्राईवर श्री राजू से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी को 10,000रूपये मासिक बंधी के रूपये देने का कहने पर उसके कहे अनुसार आरोपी अधीक्षण अभियन्ता के ड्राईवर श्री राजू द्वारा प्राप्त करना रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आना परिवादी श्री बालचन्द चौधरी द्वारा बताया गया है। अतः परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में लिया जाकर सुना जाकर फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व फर्द डबिंग व जब्ती सीडी मुर्तिब करने हेतु दिनांक 06.02.2023 समय 02:35 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी, झालावाड़ के नाम पत्रांक एसपीएल–01 दिनांक 06.02.2023 मुर्तिब कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर दो सरकारी गवाह लाने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी, झालावाड़ के लिए रवाना किया गया। समय 02:55 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 हमराह स्वतंत्र गवाह श्री जावेद अख्तर पुत्र स्व0 श्री सलाम खान जाति मुसलमान उम्र 39 साल निवासी शफी कॉलोनी, कालेशाह बाबा के मजार के पास झालावाड़ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ व श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप पुत्र स्व0 श्री जगदीशचन्द कश्यप जाति भोई उम्र 42 साल निवासी होली खुट के पास सुकेत जिला कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग वृत्त झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 4754–57 दिनांक 06.02.2023 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री बालचन्द चौधरी का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय कराया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। दिनांक 06.02.2023 समय 03.00 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी एवं आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में दिनांक 13.12.2022 को आपस में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ में हुई वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा सुन–सुन कर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारम्भ करवाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.02.2023 समय 04.05 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी एवं आरोपी श्री राजू ड्राईवर के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में दिनांक 13.12.2022 को आपस में कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ के बाहर हुई वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 द्वारा सुन–सुन कर ट्रांसक्रिप्ट टाईप करवाना प्रारम्भ करवाया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.02.2023 समय 05:40 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता तथा परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व उनके ड्राईवर श्री राजू के मध्य रिश्वत की मांग सम्बंधी वार्ताऐं हुई थी, जिनकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 06.02.2023 को क्रमशः 03.00 पीएम व 04.05 पीएम पर तैयार की गयी थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेवा किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी डब करवायी गयी, जिसमें एक–एक सीडी आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता व ड्राईवर श्री राजू के लिए, तथा एक सीडी नमूना आवाज हेतु व एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर सील मोहर चिट कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर कराये गये तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु अनसिल्ड रखी गयी। फर्द डबिंग एवं जब्ती सीडी मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 06.02.2023 समय 06:30 पीएम पर परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जावेद अख्तर व श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 13.12.2022 को परिवादी श्री बालचन्द चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता ग्रामीण जेपीडी, झालावाड़ ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र रिश्वत मांग करने पर परिवाद प्रस्तुत कर कार्यवाही चाहने बाबत् पेश किया था जिसमें एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियन्ता जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ पर परिवादी द्वारा आरोप

लगाये गये थे कि मुझे अधीक्षण अभियंता श्री एस.के. अग्रवाल द्वारा अपने कार्यालय में बुलाया और बोले कि क्या लेकर आये हो, मैं चुप रहा फिर बोले कि आप तो खाली हाथ ही आ गये हो फिर भी मैं चुप रहा फिर बोले कि जाओ कुछ लेकर आओ। मैं सब कुछ सुनकर आ गया और फिर गया ही नहीं। इस प्रकार से इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से मासिक बंधी देने की मांग की गयी है। इनके द्वारा मुझे पूर्व में भी बुलाया गया और मुझे प्रताड़ित करते हुए बोले कि साले को सस्पेण्ड कर दूंगा। ज्यादा समझदार समझते हो क्या अपने आप को। इनके द्वारा बार-बार कार्यालय में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया था तथा परिवादी को समझाईश की गयी कि जब भी आरोपी रिश्वत मांगे उस दिन कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना दे। दिनांक 06.02.2023 को परिवादी श्री बालचन्द चौधरी कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय में उपस्थित हुआ और प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा पूर्व में आपके कार्यालय में पेश की गयी रिपोर्ट पर आपने उसी रोज रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के समय ही मैंने श्रीमान एस.के. अग्रवाल अधीक्षक अभियन्ता के समक्ष 10,000रूपये अपनी पेन्ट की जेब से निकालकर टेबल पर रख दिये थे इस पर उन्होने मुझे उनके ड्राईवर को देने के लिए कहने पर मैंने मासिक बंधी राशि 10,000/-रूपये उनके कार्यालय के बाहर गाड़ी के पास खड़े उनके ड्राईवर राजू को दे दी थी। श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता व ड्राईवर राजू से हुई वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था। जिसमें उन्होने मुझे दिनांक 14.12.2022 को अपने बंगले पर आने के लिए कहा था। दिनांक 14.12.2022 को मैं उनके बंगले पर गया तो बंगले पर ताला लगा होने पर मैंने उनके मोबाईल पर कॉल किया तो साहब ने बताया कि मैं बिजी हूं तथा शाम 4 से 6 बजे तक विडियोकॉन्फ्रेन्स में रहूंगा। इस पर मैंने उस दिन शाम को 07.00 बजे तक श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता का इन्तजार किया तथा मेरे द्वारा कॉल करने पर उन्होने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने कई बार उनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने के लिए प्रयास किया परन्तु उन्हें मेरे ऊपर शक होने के कारण उन्होने मुझे अपने कार्यालय कक्ष तथा आवास पर नहीं आने दिया। अब अधीक्षण अभियन्ता श्री एस.के. अग्रवाल का झालावाड़ से सवाईमाधोपुर स्थानान्तरण हो गया है। इस प्रकार उनके विरूद्ध ट्रेप की कार्यवाही कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः मेरे द्वारा पेश किये गये परिवाद पर ट्रेप की कार्यवाही ड्रॉप करने का श्रम करें। इस पर अधीक्षण अभियन्ता पीएचईडी झालावाड़ के नाम पत्र जारी कर दो स्वतंत्र गवाह श्री जावेद अख्तर सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री जितेन्द्र कुमार कश्यप अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तलब कर कार्यालय में बुलाया गया तथा परिवादी का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाकर उनके समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी श्री बालचन्द चौधरी एवं आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम झालावाड़ तथा परिवादी श्री बालचन्द चौधरी व आरोपी ड्राईवर श्री राजू के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन के समय दिनांक 13.12.2022 को हुई अलग-अलग वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवायी गयी। उक्त वार्ताओं में परिवादी द्वारा 10,000रूपये मासिक बंधी के आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल को देने पर आरोपी द्वारा कहा गया कि "बस तो, बाद में तेरे पास रखना, ड्राईवर को दे देना, रख ले इसको, ड्राईवर को देना, बाद में मिलेंगे, कल मिल, हां बंगले पर आ जाना" इसी प्रकार परिवादी श्री बालचन्द चौधरी की दिनांक 13.12.2022 को आरोपी श्री राजू ड्राईवर से हुई वार्ता में परिवादी द्वारा कहा गया है "यार मैं यह कह रहा हूं थोड़ा मैं क्या है कि साहब से मिला था, आरोपी राजू हां, परिवादी तो तेरा नाम क्या है, आरोपी ड्राईवर राजू मेरा नाम लिया होगा, परिवादी हां हां, परिवादी तो मैं दे दूं तुझे, आरोपी ड्राईवर बात हो गयी होगी आपकी कितने क्या, परिवादी तू चाहे तो गिनो तो गिन ले भले ही दस हजार है, आरोपी ड्राईवर ठीक है" इत्यादी इस प्रकार आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ द्वारा ड्राईवर श्री राजू के माध्यम से परिवादी श्री बालचन्द चौधरी से मासिक बंधी के 10,000रूपये प्राप्त किये गये है। बाद में आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल को परिवादी श्री बालचन्द चौधरी पर शक होने के कारण व ट्रांसफर हो जाने पर मासिक बंधी के रूपये प्राप्त नहीं किये गये। आरोपी श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ व ड्राईवर श्री राजू के विरूद्ध अपराध अर्न्तगत धारा 7,7/12 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री सतीश कुमार अग्रवाल पुत्र डॉ. एस. एल. अग्रवाल जाति महाजन उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर ए-1, वरमीज कॉलोनी, जयपुर तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ हाल अधीक्षण अभियंता (पवस) जयपुर डिस्कॉम, सवाईमाधोपुर (राज0) व श्री राजेश कुमार गुर्जर उर्फ राजू पुत्र श्री नन्दकिशोर गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 29 साल निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा पोस्ट गोरधनपुरा

तहसील असनावर जिला झालावाड़ हाल पेशा ड्राईवर संविदाकर्मी कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7,7/12 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर आरोपीगण श्री एस.के. अग्रवाल अधीक्षण अभियंता व ड्राईवर श्री राजेश कुमार गुर्जर उर्फ राजू के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो राजस्थान जयपुर को सादर प्रेषित है।

भवदीय;

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7/12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री सतीश कुमार, हाल अधीक्षण अभियंता(पवस), जयपुर डिस्कॉम, सवाईमाधोपुर 2. श्री राजेश कुमार गुर्जर उर्फ राजू पुत्र श्री नन्दकिशोर गुर्जर, हाल पेशा ड्राईवर संविदाकर्मी कार्यालय जयपुर डिस्कॉम, झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 109/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 830-33 दिनांक 05.05.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

5.5.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।